सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी षिव

(पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह)

राजस्व वाद सं. 10/2020
अन्तर्गत धारा 212 RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नीम्बाराम पुत्र दुर्गाराम 2. भंवराराम पुत्र दुर्गाराम 3. गेरधनराम पुत्र दुर्गाराम जाति–सुथार, नि0 रतनुओ की ढाणी तह0 शिव।		1. हरदान पुत्र जेठुदान 2. कानदान पुत्र हरदान 3. भीमदान पुत्र हरदान जाति–चारण, नि0 रतनुओ की ढाणी तह0 शिव 4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार शिव।

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
14/2/2020	प्रार्थीगण के वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 आर. टी.एक्ट. के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के वकील की बहस है कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं विधि सम्मत कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकारों के खेत मौजा रतनुओ की ढाणी, पटवार मण्डल भीयाड़, तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 719, 1313/719, 1312/719 रकबा क्रमशः 86.01, 86.01, 86.02 कुल रकबा 258.04 बीघा, के आये हुऐ है, प्रार्थीगण के खेत मूल खसरा नम्बर 719 के विभाजन से पृथक हुए विभक्त खसरा नम्बर है तथा विप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे काश्त का खेत खसरा नम्बर 723 रकबा 283.00 बीघा के राजस्व रेकर्ड मे डोली बनाम मन्दिर श्री हरयाजी वाके देह खातेदार के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि ग्राम रतनुओ की ढाणी मे आई हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे काश्त की भूमि की तरमीम भी पृथक पृथक राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। प्रार्थीगण ने अपने खेत की पैमाईश करने हेतु न्यायालय तहसीलदार शिव में राजस्व आवेदन दायर किया और उक्त राजस्व आवेदन मे प्रार्थीगण के खेत की पैमाईश किये जाने हेतु न्यायालय श्री द्वारा आदेश क्रमांक/रीडर/2012/1896 दिनांक 17.07.2012 को भू– अभिलेख निरिक्षक भीयाड़ को मौका कामिश्नर नियुक्त किया गया तथा भू– अभिलेख निरिक्षक भीयाड़ द्वारा उक्त आदेश की पालना मे दिनांक 08.07.2013 को प्रार्थीगण के खेत की पैमाईश की गई व मौके पर प्रार्थीगण की भूमि की सीमा पर बिन्दु संख्या 1 से 10 पर अस्थाई निशानदेही कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय तहसीलदार शिव मे दिनांक 10.07.2013 को भेजा गया। उक्त पैमाईश पर विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कोई [illegible] पेश की गई। अतः न्यायानय तहसीलदार शिव ने भू– अभिलेख निरिक्षक [illegible] की गई पैमाईश मे नियत किये गये बिन्दु अनुसार पक्के नेखम स्थापित किये जाने के आदेश क्रमांक/रीडर/2013/1427 दिनांक 05.08.2013 को जारी किये व मौके पर पक्के नेखम स्थापित कर दिये गये है। उक्त पैमाईश में विप्रार्थी संख्या 1 के परिवार का अतिक्रमण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आया है। जिसे हटाने के लिये प्रार्थीगण द्वारा इसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया हुआ है। वर्तमान में विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे किये गये अतिक्रमण वाले भू–भाग पर छीणो के लकडे रोप कर पक्की तारबंदी व जाली कर कब्जा पुख्ता करने पर आमादा है।	

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:36:18 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11.06.25	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। चूंकि उक्त आवेदन का मूल वाद निर्णित हो चुका है। अतः मूल वाद के निर्णित होने पर उक्त आवेदन का कोई महत्व नही होने तथा सारहीन होने से आवेदन इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:36:18 IST
Reason: SelfAttested